रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन)04/0007/2003—19= REGISTERED No. DL—(N)04/0007/2003—19

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित=

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 28, 2019—जनवरी 3, 2020 (पौष 7, 1941)=

No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 28, 2019—JANUARY 3, 2020 (PAUSA 7, 1941)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके=

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)=

भाग III—खण्ड 4=
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 2019

सं. Z-12/12/31/Misc./11-Vig.—कर्मचारी राज्य बीमा निगम, 1948 (1948 का 34) की धारा 17 की उप-धारा (2) और धारा 97 की उप-धारा (2) के खंड (xxi) तथा उप-धारा (2-क) के साथ पठित इसी धारा की उपधारा (1) द्‌वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद्‌वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:—

1. (i) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारीवृंद और सेवा की शर्तें) संशोधन विनियमावली, 2018 कहे जाएंगे।

   (ii) ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

2. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारीवृंद और सेवा की शर्तें), विनियमावली, 1959 के विनियम 8(1) में, निम्नलिखित परंतुक को विनियमावली की धारा 8(1) के अंतर्गत वर्तमान परंतुक के अंत में समाविष्ट किया जाएगा:—

   "आगे बशर्ते क.रा.बी. निगम ने पेंशनभोगियों के मामले में, अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 9 में परंतुक के अंतर्गत यथा-प्रदत्त संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लागू नहीं होगा।"

पाद टिप्पणी:— भारत का राजपत्र, भाग-III, धारा 4 दिनांक 26 दिसम्बर, 1959 में अधिसूचना सं. 2-2/1/56-स्था. दिनांक 16 दिसम्बर, 1959 द्वारा प्रकाशित प्रधान विनियमों में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा पूर्व में संशोधन किया गया था:—

1. अधिसूचना सं. 1(1)2/62-स्था.I दिनांक 25.08.1965
2. अधिसूचना सं. 1(1)-1/66-स्था.I दिनांक 16.08.1969
3. अधिसूचना सं. 1(1)-1/72-स्था.I दिनांक 13.10.1973
4. अधिसूचना सं. 1(1)-1/72-स्था.I दिनांक 24.08.1974
5. अधिसूचना सं. 1(1)-1/62-स्था.I दिनांक 31.07.1976
6. अधिसूचना सं. सतर्क.2(5)-1/74 दिनांक 23.07.1977
7. अधिसूचना सं. ए-40(11)-2/77-स्था.IV दिनांक 05.02.1980
8. अधिसूचना सं. 1(1)-1/72-स्था.I स्तंभ II दिनांक 16.05.1981
9. अधिसूचना सं. सतर्क.8(1)/74 दिनांक 27.05.1983
10. अधिसूचना सं. ए-32(11)-1/84-स्था.I(ए) दिनांक 16.06.1990
11. अधिसूचना सं. सतर्क.9(1)/74 दिनांक 18.01.1992
12. अधिसूचना सं. ए-1/1/2/2009-स्था.I दिनांक 23.02.2011
13. अधिसूचना सं. जेड-12/12/31/विविध/11-सतर्क. दिनांक 23.11.2018

एस. रविचंद्रन
अपर आयुक्त

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 11th December 2019

No. Z-12/12/31/Misc/11-Vig.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 97 read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2-A) of that Section and sub-section (2) of Sectio.n 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations, namely:—

1. (i) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation (Staff and Conditions of Service) Amendment Regulations, 2018.

   (ii) They shall come into force with immediate effect.

2. In the Regulation 8(1) of the Employees' State Insurance Corporation (Staff & Conditions of Service), Regulations, 1959, the following proviso shall be inserted at the end of the existing proviso under Section 8(1) of the Regulations:—

   "Further, provided that in the matter of the pensioners of the ESIC, the consultation with UPSC as provided under proviso to Rule 9 of CCS (Pension) Rules, 1972 before passing of final orders shall not be applicable."

   Foot Note:—The principal regulations, published vide notification No. 2-2/1/56-Estt. Dated the 16th December, 1959 in the Gazette of India, Part III, Section 4 dated the 26th December, 1959, were earlier amended by the following notifications:—

   1. Notification No. 1(1)2/62-Estt.I dated 25-08-1965
   2. Notification No. 1(1)-1/66-Estt.I dated 16-08-1969
   3. Notification No. 1(1)-1/72-Estt.I dated 13-10-1973
   4. Notification No. 1(1)-1/72-Estt.I dated 24-08-1974
   5. Notification No. 1(1)-1/62-Estt.I dated 31-07-1976
   6. Notification No. Vig.2(5)-1/74 dated 23-07-1977
   7. Notification No. A-40(11)-2/77-Estt.IV dated 05-02-1980
   8. Notification No. 1(1)-1/72-E-I Col.II dated 16-05-1981
   9. Notification No. Vig. 8(1)/74 dated 27-05-1983
   10. Notification No. A-32(11)-1/84-E.I (A) dated 16-06-1990
   11. Notification No. Vig. 9(1)/74 dated 18-01-1992
   12. Notification No. A-1/1/2/2009-Estt.I dated 23-02-2011
   13. Notification No. Z-12/12/31/Misc/11-Vig. dated 23-11-2018

S. RAVICHANDRAN
Additional Commissioner

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली-110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली-110054 द्वारा ई-प्रकाशित

UPLOADED BY GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

BANSHI DHAR DUBEY Digitally signed by BANSHI DHAR DUBEY Date: 2019.12.30 11:54:08 +05'30'